

३ अक्टूबर १०८ - २०१८ विभाग

नियमिता कार्रवाचीका

अध्याय 27

जिला कार्यालयों का नियोग

458.

नियमिति विन्. जो सचिवालय होने के लिए आवश्यक है। नियोग करने वाले अधिकारियों से जिला कार्यालय का व्यापक अनुसंधान करें। अप्रैल, १९७१ को नियमिति नियोगों की समाप्ति प्रक्रिया करते हैं। [परिच्छेद 1685]

459.

नियमों द्वारा अपेक्षित रूप में समुचित होने से रक्खा जाता है तथा इन्हें के नियम संग्रह में सुनियमित किया जाता है।

(1) कि जेवा पुस्तिकाजों को विशेष हस्तप्रस्तका, छल्क 2, शाम 3 के सहायक नियम द्वारा अपेक्षित रूप में पूर्णतया पूरा करके रखा जाता है तथा युक्त 1 पर प्रविष्टियों का संलग्न समुचित होने से तथा नियमित रूप से उनके पावर दिस्ती के अनुसार दिया जाता है तथा कि मूल नियम 76 तथा सहायक नियम 80 के अधीन अपेक्षित अवकाश लेखांगों को समुचित करा जाता है।

नियमों—दो या तीन मास के बीतने विषयों को लेना तथा यह देखना उभयोंगों पापा के मामले में अवकाश लेना ये प्रविष्टि को सेवा पुस्तिका में तथा अवकाश है।

(2) कि उपायिकानि दीवाना को नियमित रूप से तथा समुचित रूप से जानें रखा जाता है।

(3) कि उपायिकानि दीवाना को नियमित रूप से तथा समुचित रूप से जानें रखा जाता है।

(4)

कि उपायिकानि दीवाना को नियमित रूप से जानें रखा जाता है।

(5)

कि उपायिकानि दीवाना को नियमित रूप से जानें रखा जाता है।

(6)

कि उपायिकानि दीवाना को नियमित रूप से जानें रखा जाता है।

(7)

कि उपायिकानि दीवाना को नियमित रूप से जानें रखा जाता है।

(8)

कि उपायिकानि दीवाना को नियमित रूप से जानें रखा जाता है।

की समुचित विधि में है, कि नौनेवर प्रवास तथा उचित क्रम में है तथा विहृकी के सभी शीघ्रों की नियमित रूप से ग्राफ किया जाता है।

462. नामांश्च लिपिः—पूर्ववर्ती परिचये में लिपिष्ट सामाज्य गमनों के अतिरिक्त, नामांश्च लिपिहों के मामले में परिचय के लिए लिपि नमूना बिन्दु हैः

(1) वार्तालाली अधिकारी के नाम तथा जातियों, लिपि तिथि, उपस्थिति के लिए तथा तथा सम्बन्ध रूप से प्रतिक्रिया किये गये जाग्राम के साथ समुचित गमन में तथा यदि वार्तालाली हो, सम्बन्ध रूप से पुरार बन्द किये गये मामां आदेशकारी, सूचनाकारी, उद्दोषणाकारी इत्यादि की अवस्थाता से लैपाठी।

(2) तामीली या निपातन के सामाज्य में समुचित प्रतिवर्तन तथा यदि वार्तालाली हो, शम्प-नस्त के साथ आदेशकारी को गमन किये गये हों या निष्पादित निये गये हों या नहीं, को समुचित रूप से दाखिल करना।

(3) आदेशकारी की समुचित तामीली।

दिप्पन—सम्बन्धित न तामीली की गयी आदेशकारी को समुचित लिपा या एक

(4) चमुचित आदेशकारी युक्त का उद्घासण।

(5) अभियासकों, अधिकारी के लिए तथा सम्बन्धित अभियासकोंकरण।

(6) वार्तालाली तथा लिपित कथनों का समुचित लिप्यापन।

(7) पाद्यालाली, आदेशकारी परिचयों इत्यादि पर भावांश्चय युक्तों का समुचित उद्घासण।

(8) वार्तां तथा सामाज्यितः प्रदर्शनों से सम्बन्धित दस्तावेजों का समुचित पूछानकर्ता तथा अध्यात्।

(9) चमुचित प्रश्न में आवाजियों की लैपाठी।

(10) चक रत्न तुलितकारों (उम्राना इत्यादि) तथा अद्वेषी आदेश तुलितकारों का सम्बन्धन।

(11) मामलों की नियाद की समुचित संगणना, जब नियाद जो आवाजिक लिपयों में प्रविष्ट किया जाता है।

(12) समय की, विस्त एवं चरित्रकारों की प्रतिविनियोग महण इत्यादि जाग्राम, दीप्ति कर्त्ता हुये वाले सुनिश्चित तथा उद्घासनों की अवधारणा की अवधारणा।

(13) नियंत्रित विचारकों की प्रतिविनियोगों को तथ्यरूप नियंत्रित करना जाता है तथा किसी कर्मनों, आदेशकारी तथा नियंत्रित करना जाता है।

(14) किस चारांश्चयों में लक्ष्य अवधारणों के लिए लिपित पूर्ववर्तनालयों का अनुपासन उनके लिपयों के रूप से लिप्यापन। [परिच्छेद 1688 (ii)]

463. तथा लिपिः—कई लिपिहों को विषयांश्चय लेखनों, जैसे पुस्तकालय, आज्ञादारी, चकानी, साम्प्र स्थानित के लेखनों को नियंत्रित किया जाता है। परिच्छेद 467 के अनुरूप नियंत्रित लिपिहों, जिनके प्रभाव में ऐसे लिपिक हैं, के परिचय के अनुरूप नियंत्रित लिपिक लिपित बिन्दु इत्यान की अपेक्षा करते हैं—

(1) वार्त रिपोर्टर में ही या न ही अविष्याद-विष्यरी का समुचित रूप-रखाव।

(2) कोमानार लिपात्तु तथा गमनों का उल्लंघन अविष्येत।

(3) नाम, पर्याप्त, निष्पादन, प्रतिवर्तन इत्यादि में परिचय तथा आदेशक लिपित अवधारणों या नाम माल के मर्दों को लिखकर लेखना (इनको मुख्यालय तथा तहसील दोनों पर समुचित रूप से प्रभावी होना चाहिये)।

(4) कोषारार लेखाकों का लाल लिपात्तीय लेखाकों की जगी।

(5) नहर दरों के मामले में जमावदियों का लिपित तथा सम्बन्ध रूप से प्राप्त किये गये अविष्येतों की तत्काल वापसी।

(6) समी प्रगार के राजस्व की वापसी का समुचित लिपिचत। [परिच्छेद 1688 (iv)]

(7) सामाज्यितः जिल लिपेष विधान में लेखाकों को चारे में लिपेष आदेशों का अनुसरन लिपा जाता है।

(8) इस दर्गे से लेखाकों का रूप-रखाव कि आवधिक लिपिरण्यों का अनुपासन लिपात्त का अध्ययन तथा कर्मचारियों की पर्यावरण।

(9) नियंत्रित अध्य तथा सीधीया अनुदान के रविस्तर का समुचित रूप-रखाव तथा वार्तारों का लिया जाए एवं निरस्तकरण।

(10) वार्तारी की उपरिक्त पृष्ठिका।

(11) अपराधियों के मध्य जार्य का स्व-विधायन तथा कर्मचारियों की पर्यावरण।

(12) वार्तारी के लिए सम्बन्धित रुपों तथा नाम कालिक सूचनाओं को इटाना।

(13) कोषारार में सुन्दरता के लिए शार्ट यदों को उल्लंघन जग्ना करना तथा अवेदों के अनुपासन उनके लियों का सम्पूर्ण वेषण कार्य नवारात्र में केवित हो गया है तथा किल बाक में लिपित विष्यक विष्यक विष्यक विष्यक।

(14) किस कलेक्टरों का सम्पूर्ण वेषण कार्य नवारात्र में केवित हो गया है तथा किल बाक में लिपित विष्यक विष्यक विष्यक विष्यक।

(15) लाल नीर्द बाल राजीव राजस्व लिप्यापन के परिच्छेद 117 के उल्लंघन में अपनी

(16) चया फॉन्चर की स्कॉल पंजी को लिहित प्रस्तुत में रखा गया है?

465. सामाज्य लिपिक—परिच्छेद 1688 (v)

लिहित ध्यान की अपेक्षा करते हैं, जब सामाज्य लिपिक तथा उसके लियों के कार्य का अविष्य

(4) सर्वेक्षण उत्तरांशों की मुद्री की दिशा ।

(5) लेखपात्रों के राजिस्टर की विधि तथा इसकी अनुक्रमणिका ।

(6) बांग्नुगत सुनेश निरोधक के राजिस्टर को स्वीकृति ।

(7) भार्ती तथा दोष रजिस्टर (यदि विहित हो) को स्वीकृति ।

(8) दू-जीव निरोधिका में अधिकारित नियमों के अनुप्राप्ति को स्वीकृत तथा गतिशील तथा कार्यान्वयन को नक्षीकार करना ।

(9) फैलेव निर्विकार में विहित बोकी जूतेओं का अनुप्राप्ति ।

(10) भार्ती तथा विस्तोरक अधिकारियों के अतिरिक्त रजिस्टर ।

(11) अनुबंधियों का समुचित रेष्ट ।

(12) प्रतीक्षा आपराधिक अधिकारियों का समुचित वर्गीकरण (अन्तिम रजिस्टरों को विभागों में विभाजित किया जाना चाहिये) ।

(13) मुख्यमानों के रजिस्टर ।

466. प्रथम पाल—सामाजिक विचारों 463 के अनुग्रह विषय के विवरण 1-4-16 के अतिरिक्त निलंबित भागों की विवरण करते हैं—

(1) पतकालिक प्रक्रियों को हटाना ।

(2) कुछ प्रक्रियों को बदलना करके तथा प्रक्रियों के ऊपर रखे गये प्रक्रियाएँ अधिकारियों के बायं दुलना करके बदलपन ।

(3) विहित प्रक्रियों की प्रयोग (कुछ व्यापारियों प्रक्रियों को बारों नहीं किया जाता तथा योग्य विधिक उनके लाईसेन्स का नहीं बाबत) ।

(4) प्रक्रियों को बारों करते के दूर्वा भाग-भागों की सम्भव भासि ।

(5) जारी नियम गोपनीयों के लिए रमेशों की विधिवानता ।

(6) विक्रय गोपनीय प्रक्रियों के रजिस्टर तथा लेखांकों की जाइ । [परिचय 1648 (प्रम.)]

467. बायं दुलन का सुविधालेख बनाना—परिचय 461 में निर्दिष्ट भागों के अतिरिक्त, निम्नलिखित भागों के लिए विवरण की जानते हैं तथा किसी विवरण की विधिवानता ।

(1) व्यापारियों द्वारा बदलावों तथा कामों के विवरणियों की विधिवानता भेजनी तथा परोक्षम तथा विवरण की बन्धनता ।

(2) कलेक्टर को अधिक विवरण देया जानियों की विधिवानता ।

(3) उप-नियंत्रक को बोमांसक विधार्ट को देना ।

बोन की विधिवानता ।

468. अधिकारियों का विवरण नक्षा अनुप्राप्ति । [परिचय 1648 (viii)]

मामले, विशेष व्यापकों के विवरण नक्षा में, निम्नलिखित

का राजस्व अधिकारियों का विवरण देया जाता है ।

(1) कि अधिकारियों का विवरण देया जाता है ।

(2) कि उनमें से कोई विभागों की विवरण देया जाता है ।

(3) कि अन्तीम फाइनों की अधिकारियों का विवरण देया जाता है ।

(4) कि विवरण देया जाता है ।

(5) कि परीक्षण की विवरण देया जाता है ।

(6) कि विवरण देया जाता है ।

(7) कि विवरण देया जाता है ।

(8) कि उन्हें विवरण देया जाता है ।

(9) कि विवरण देया जाता है ।

(10) कि छठांडे-कर्ता छठांडे के विवरण देया जाता है ।

(11) कि छठांडे-कर्ताओं के कामों का बारों विवरण देया जाता है ।

(12) कि छठांडे-कर्ता बस्तों के अन्तर्वस्तुओं की परीक्षा करते हैं तथा विभीत भाइयों के

(13) कि गुरुत्वाकांक्षा तथा अभिलेखों का चर्चित रूप से देखाज जिमा जाता है तथा नहीं इस्तेव्वि ते जातिश्वर नहीं है ।

(14) कि छोटाई किसे गये अभिलेखों से निकाले गये टिक्टों पर अवृचित करने वाले प्रबों को रखने के लिए उचित भेटी प्रदान की जाती है तथा कि के प्रभारी अधिकारी की अपवित्रता में बहता है ।

(15) कि नामालयों को ऐसे गये अभिलेखों में रजिस्टर उचित कम में तथा अचानक है । बकाया फाइलों की बच्चा का उत्तेज अलग निमि गये ग्राहीनतम भाइयों की तिथि के साथ करता चाहिये ।

(16) कि नीन भासे अधिक से बाहर किसे गये फाइलों की सूची जो अधिकारीपाल द्वारा प्रयोक नीन भास में एक बार करवटर को प्रस्तुत किया जाता है ।

(17) कि अभिलेख कम में अभिलेखों का निरीक्षण किया जाता है तथा कि तुक्का मही तरीके से प्रधारात्मक नियम नहीं है ।

(18) कि नीन भास प्रतिका तथा तासों रजिस्टरों को समुचित रूप से रखा जाता है तथा कि उत्तम विवरण गये हिक्कों को सम्पूर्ण रूप से अधित किया जाता है । (प्रियंक भास के रजिस्टरों का विवरण प्रत्येक शीर्षक के ग्राही नियम जाना चाहिये) ।

(19) कि निरीक्षण त्रिवित कम तथा तासों रजिस्टर का नवाकरण प्रति रवीं ब्रह्मद्वार में किया जाता है तथा तृष्ण तिये गये बछड़ों को इसरी बार हक्कों को लिहित करने के बाद अभिलेख कम्यु का प्रयोग किया जाता है ।

(20) कि काई अभिलेख विवित प्रकार में समुचित अद्युत्तेजों के बिना व्यापाराय की नहीं भेजा जाता है तथा कि अभिलेखों को पेश करने तथा वापस करने के नियमों का सम्पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता है ।

(21) कि छोटे गये अभिलेखों द्वारा रजिस्टरों के द्वी कागजों को तासा से बन्द निये गये संकेन गा धानी (bim) से समुचित रूप से रखा जाता है तथा विकाय के लिए नाविर को सौंपा जाता है । (नाविर की भैया गये रुपों कागज का आधिक विवरण तथा सूची, जिस पर यह विषया है, का उत्तेज करता चाहिये । विकाय आगामों की बहुती तथा जमा को नाविर के रजिस्टर से छोड़ा जाना चाहिये) ।

(22) कि बहनों को स्तुतित रूप से फ्रांकित किया जाता है तथा लेवल लगाया जाता है तथा अच्छी कियते हैं तथा कि प्रारम्भिक बर्ष, जिसमें इसमें अन्तिविष्ट किसी फापत की छापा जाता है, का उत्तेज करते हुए प्रयोक बदता के बाहर टांकों का जाता है तथा प्रत्येक समय युद्ध किया जाता है, जब बहनों में से फाइल छाटी जाती है या उसमें रक्ती जाती है ।

(23) कि अभिलेखाल को अपने गुरुत्वों में से किसी से कोई विकाय नहीं है तथा कर्मचारी प्रयोग है तथा प्रामाण्यतया कार्य समाप्तिपद रूप से बदल चहा है ।

(24) कि बहन जिसे गये अभिलेखों में प्रयोक तथाता से जारी की जाती है तथा अभिलेखों के नियंत्र के सम्बन्ध में विहित रजिस्टर उचित रूप से रखे जाते हैं ।

— सेवाल के कानूनों के लिए अभिलेख कम

(1) कि नीन भासालय प्राप्त किया गया है । प्रयोग के लिए नियम तिथि रजिस्टर का जिस पर वास्तव में प्रयोक गहरीज से प्राप्त किये जाते हैं, फाँउलेख कर ।

(2) कि क्रमांक तथा छोटाई समुचित रूप से प्राप्ति पर है । उत्तेज बीजिसे, यादि कोई काम बकाया है ।

(3) कि बहनों की अतिविष्ट अनुभाविताना तथा रजिस्टर के समान है ।

(4) कि नामालयों की अवृचितालयों का तत्प्रता से अनुपालन किया जाता है ।

(5) कि बहन तथा लेवल समुचित विवित में है । नये के लिए किसी अविन अविन व्यापारा का उत्तेज चरता चाहिये ।

(6) कि कोई कानून जो योगी नहीं है । यदि कोई योगी नहीं है, तो इसका उत्तेज करना चाहिये कि भास कोई लिहित सम्बद्ध अधिकारों को भेज की गयी है ।

प— भासालय अभिलेख कम

(1) कि कार्यालय है तथा विधिक नहीं है ।

(2) कि तुक्क किये गये अभिलेखों में नियमत लिखित पर भायलों के प्रत्येक बर्षों के लिए १२४४ रुपय व्यापालय से प्राप्त किया जाता है ।

(3) कि अभिलेख कम की पारिषद अभिलेखों की सूची की, व्यापालय, व्यापालय, व्यापालय के अनुपालन में लेवर किया जाता है ।

(4) कि तुक्की की हुमरी प्रति अभिलेखों के नाश होती है, जब उन्हें अभिलेख कम में काली की रखा जाता है ।

(5) कि गांधारीन अभिलेखों को अभिलेख कम में उनके लिए १२४४ रुपय रखे गये रेक में

(6) कि अभिलेखों की जांच अभिलेखाल द्वारा सावधानीपूर्ण की जाती है, जैसा कि चुब्ब व्यापालय के नियमालों द्वारा अधिकारी है, तथा अनुप्रद भालों की तत्प्रता से बुद्ध करने पर्याप्त किया जाता है ।

(7) कि लेवल का अधिकृत अधिकारी का अकारादिकम से रजिस्टर व्यापालन है तथा व्यापाली की धारा २५ प्रयोग से तो सकारा, तथा अवकारी अधिनियम की धारा ६९ तथा भारा अप्रियम विवारण अविनियम की धारा १६ (ii) के अनुप्रत मामलों में, जिसमें व्यापाले गये देव और अविरोपित किये जाते हो सम्पालन है, अभियन्तों की अवर्तविष्ट करता है ।

(8) कि अभिलेखों को जुदन: वर्ग I तथा II में व्याप्ति किया जाता है तथा उनी

(9) कि छोटाई अवधान है तथा बकाये में नहीं है । (सभी बर्षों या सूची में छोटाई की

प्राप्ति का उत्तेज करना चाहिये) ।

(10) कि रजिस्टरों की विषयन व्यापालयों के प्राप्त किया गया है तथा उनमें व्यापाल जिमा गया है तथा कि रजिस्टरों की छोटाई अवधान है ।

(11) निकोई अप्रत्येक गौतमार्थिक अनुप्रयोग के बिना अविद्येष कक्ष से वाहर नहीं जैवा आता है, जिस अवस्थेशा के विविध टर्मिनल को संतुष्टिपूर्ण रूप से रखा जाता है वहाँ प्रत्येक तीन मास में रामार्थी अविद्यार्थी के समझ रखा जाता है; तथा कि तीन मास में अधिक के लिए अप्रत्येक कक्ष के वाहर के मनमतों की सूची का परिचयलन सभी व्याख्याताओं ने दिया जाता है।

(12) कि युक्ति के लिए पेशकारों को भास्त किये गये अनिवार्यों का रखिस्तर रखा जाता है। (पेशकारों के पास को मार्चिनिटी वादों की तिपिका का उल्लेख जाता जानिनी।)

(13) कि नियंत्रणों का रखने के लिए विकृत घटना में रखा जाता है। (प्रत्यक्ष दीन भास्तुओं का अधिकारी विवरण)

करता थाहिये।

को पारेविन जिसे बाते हैं। (याप्यतम युनक लेखनों, जिस पर कवय संशोधित है, जो उससे संबंधित है, की जोष की तातों चाहिये)।

(15) कि नामिर औ संग्रह यथे एदी कागज का लेहा चिकित्स करने में (जैसे दायर्शन

विवरण देखने की जिम्मेदारी अपने लिए लेना चाहिए।

(१) इन बन्द कुपोषणों में अमरीका की प्रतिनियतियों को तथा राष्ट्रों से आरोपित वापर से रखा जाते हैं।

(1) प्रतिलिपियों के लिए आवेदन का नकार बढ़ाया

आधारीक्षे उत्तमता है।
(2) कि प्रणिलिमियों के लिए आवेदन की प्राप्ति के लिए सम्बन्धित अवसरा की जांच

ऐसा कि मृत्यु अवश्यका को अधिकारित करते हुए मृत्युना को सम्पूर्णतया रूप में राखता है।

(3) निक प्रतीतापायों के लिए आवेदनों को प्राप्ति के अनुसार में विषिट किया जाता है तथा परिचलन 243 प्राप्त शब्द संख्या 26 (परिचलन 237) में प्रतिष्ठित किया जाता है तथा परिचलन 243

(४) नि. रजिस्टर संस्करण II में एक समावृत्त से अधिक पुरानी सभी प्रविष्टियाँ को,

मैं अपने साथी के साथ उसके साथ चला गया था तभी ७ को मास के अन्तिम दिन तक भरा रहा है, अगले मास की चूंची में आगे बढ़ता है।

(६) निए प्राप्ति के अनुसार आपको आपने जीवन के साथ सम्बन्धित वस्तु के लिए अधिक विद्या देनी चाहिए।

१०८ अन्तिम वर्षात् एक बड़ा भूकंप हुआ, जो प्रभावित किया जायेगा।

(८) नकल कम्बारी उपस्थिति में नियमित है; कि काम को नकल नवीनों के भव्य

पर्याप्त है वस्तु का पर्याप्त विकल्प। मानक के समान है। यदि अतिरिक्त

(2) कि स्टाम्प विक्रीता तथा याचिका होल्क औल्ड लिंगिक के नजदीक छैटे हैं।
 (3) कि दैर्घ्यांश लिंगिक को कार्यालय के अन्य अमुआओं के संयोग में अत्यर-संचार हुरमाष प्रदान किया जाता है।

(4) कि दैर्घ्यांश लिंगिक दैर्घ्यांश करने वाले सामान्य जन की आवश्यकताओं का समाधान करते हैं तथा कार्यालय में उनके बेसलब घूमने किसे को निवारित करते हैं।

अध्याय 28

लहसुनो का निरीक्षण

470. प्रत्येक लहसुन को पुस्तिका दी जायगी, जिसमें निरीक्षणों के परिणामों को रखा जायगा।

471. पुस्तक को हाथिये पर डलिंगित बीस शोर्करे में विभाजित किया जायगा, तथा एड मूँठ गलेक शोर्करे को अवृत्ति किया जायगा। निरीक्षण करने वाले अधिकारी सामान्यतया एक निरीक्षण में कुछ विभाजन से बालिक का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। किसी भी सुन्दर संवीकार कई चारु परिक्षण के अधिक प्रभावी है। विभाग, जो बहुत दिनों से निरीक्षण बिना किये नहीं है, या जिनमें सापरवाही की सूखना दी गयी है, को परिक्षण के लिए तथा राजवाहा का संपूर्ण अधिकारी उपकरणों को विभाग निरीक्षण करना चाहिये। नक्से नक्सिल करने के उपकरणों को संपूर्ण विभाग तथा राजवाहा करने वाले अधिकारी नहर राजवाहा विभाग को दर्शात करने के लिए विभाग निरीक्षण करना चाहिये।

472. लहसुन को लहसुनीलचार के पास या उसकी अनुपस्थिति में लहसुन के प्राप्ति किया है, यदि आवश्यक हो तो, अधिक के लिए पुस्तिका को पाप्रक शाप को जिला अधिकारी को भेजो।

473. (क) सामान्य निरीक्षण के लिए अधिकारी समय को कम करने के अनुच्छेद 1695 प्रत्येक लहसुन निरीक्षण पुस्तिका में जोड़े लिये गये प्रक्रम में अनुसारिका होगी

निरीक्षण की तिथि के साथ निरीक्षण अधिकारीयों का नाम तथा पदनाम	निरीक्षण किये गये क्रियाएँ (निरीक्षण पुस्तिका के प्रारम्भ में नम सूची 1 से 20 तक तक)
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2	

लहसुन निरीक्षण पुस्तिका के अनुसारिका के उप-संस्थ 2 में, निरीक्षण जिये गये विभागों को दर्शात करने के लिए विभाग निरीक्षण करने के अनुसार में निरीक्षण विषयों पर पारित आवश्यक विभाग का अनुसरका कहा जायगा, जिस निरीक्षण विषयों पर पारित लेने की अनुच्छेद 1694 के अनुसारका अनुसरका कहा जायगा, जिस निरीक्षण विषयों पर पारित लेने की अनुच्छेद 1694 के अनुसारका अनुसरका कहा जायगा। नक्से अधिकारी को अनुच्छेद 1694 के अनुसारका अनुसरका कहा जायगा। नक्से अधिकारी को अनुच्छेद 1694 के अनुसारका अनुसरका कहा जायगा।

(2) अप्रूपरक के बाये मूँठ पर निरीक्षण विषयों में जिला अधिकारी द्वारा पारित विभागों का संलग्न तथा विवेक विभागों का उपर्युक्त करना चाहिये।

(3) लहसुन निरीक्षण पुस्तिका के अनुसरका को प्रयोग की तीन मास में उप-संचारीय अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को भेजा जायगा।

474. निरीक्षण आपूर्त, जिला अधिकारी, उप-संचार के प्रभारी सहायक कलेक्टर या या कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक वारा भी जिया जा सकेगा।

475. निरीक्षित प्रथम संबीणिष नहीं है। के बेवल उन विषयों को निरीक्षण करते हैं, जो जीव के लिए भोग्य जा सकते हैं। प्रथम, जिसमें अधिकारीयों को अपने निरीक्षण के पारियां को अधिकारीयों को अपने निरीक्षण के विभाग नहीं हैं कि उनके विभाग के निरीक्षण करने के लिए औपचारिक उत्तरों का कम प्रहृष्ट विभाग नहीं है।

16. तकानी (विवरण, संबंध तथा लेखा तथा चुप्ता)
17. फेनस
18. पर्यावरण कार्यालयों
19. रजिस्टर वार्ड निरीक्षणों
20. प्रक्लीन

कोई असमानीति छनराजि है, जिसे निम्न में ज्ञान कर देना चाहिये ? यथा रजिस्टर ५ में कोई असमानीति छनराजि नहीं, जिस गोपी-सियाहा में यथा करना चाहिये ? यथा कोई छनराजि प्रसरणि ज्ञान जाता है, जिसे गोपी-सियाहा में यथा करना चाहिये (उदाहरणार्थ-ज्ञाना ज्ञान किया जाता है, जिसे इस रजिस्टर में नहीं ज्ञान किया जाना चाहिये (उदाहरणार्थ-ज्ञाना वर्ष, नार लेल इयादि के लेख पर अवधारी)। यथा रजिस्टर ५ में ज्ञान की गोपी छनराजि परिषद्, नार लेल इयादि के लेख पर अवधारी । रजिस्टर ७ में कोई अतिरिक्त आगे कार्य विवर जो निरप्रबाध स्थ से जियाहा में बापा की जाती है ? रजिस्टर ७ में कोई अतिरिक्त ज्ञान जाता है ? रजिस्टर ७ में कोई अतिरिक्त ज्ञान जाती है ? ज्ञान की गोपी छनराजि को साधापति कीजिये । यथा स्थानी अधिक के बाहर प्रयोग भव के लिए रसीद किया जाता है ?

यथा शुभान जरने के फूले नाम भाजिर यह देखता है कि बाहवर पूर्ण तथा कुम में है ?

४. यथा शुभान, जो घाँडेश द्वारा किये जाते हैं, कुछ उत्तरायों अधिकारी द्वारा गोपीसामिति किये जाते हैं तथा क्या रजिस्टर स्थान ३ का अध्याय ५ के रजिस्टर स्थान १ से नियमित प्रुलना की जाती है ?

५. यथा तहसीलदार या उसकी अधिकारियत में नाम तहसीलदार अधिकारियत स्थ से वर्तमान रजिस्टर के फूल्य के विविधों का अधीनण कहती है ?

४84. नक्षत्रवीत

१. नक्षत्रवीत कहाँ बैठते हैं ? उनके बार्दे का प्रतिवेष करने के लिए कौन

उत्तरदायों है ?

२. नक्षत्रवीतों द्वारा प्रतिवेष नक्षत्र लिये गये सब्दों की जीवन संखा क्या है ?

कौन-सा अस्त्र जारी के कर सकते हैं ?

३. यथा उनका रजिस्टर शुद्धता से तथा लक्ष्यता से रखा जाता है ? यथा शुद्ध शुद्धता से उत्तरायों के लिया जाता है ?

४. यथा प्रतिविमीं तत्काल भी जाती हैं तथा आवेदन कालानुक्रम से भएग किये जाते हैं ? यथा अनुचित स्थ से निरस्त किया गया है ?

५. यथा किसी आवेदन को अनुचित स्थ से निरस्त किया गया है ? यदि ऐसा है, तो यह क्यों आवश्यक है ?

६. यथा प्रतिविमीं को स्थानित करने के संभवता जाता है ? यथा प्रतिविमीं को स्थानित करने के लिए उपचार यथा जाता है ?

७. यथा ज्ञानका गोपी द्वारा राजस्व के अनुत्तर कर द्ये हैं ?

८. यथा ज्ञानका राजस्व के संभव में नियोजित किये जाते हैं ? यदि ऐसा है, तो कौन नियमित के अनुसार ज्ञानका को संभव कर द्ये हैं ?

९. बहुतीय यथा राजस्व के अनुत्तर के विवर पृष्ठे से नियंत्र मापि रिट की संख्या क्या है ?

१०. यहसीलदार द्वारा रिट बारे करने के पहले ज्ञानका प्रक्रिया क्या है तथा कौन-सा सिद्धान्त है जिनका अनुसार यह उन्हें जारी करने में करता है ?

११. यथा एक के अधिक रिट त्रौटी यथा अधिकारी के विवर यथा जारी किया गया है ?

१२. यथा कोई रिटपारी की गयी थी तथा यथा रिटपारी उत्तरायत्र प्राविद्वारी के अंदीन भी ? निरोध के समय तथा स्थान का अवधेषण जीविये तथा परिणाम का परिवर्ण जीविये ।

१३. किनते मामताओं में अतिरिक्तियों के बल सम्पति की कुमों की गयी है ? इन मामताओं में से कुछ का परिषय जीविये, जिससे यह निकाला जाय कि यथा तहसीलदार ने समुचित

१४. यथा अचल सम्पति की कोई कुमों की गयी है ? प्रबन्ध के विवरण तथा परिणाम की परिका कीजिये । तहसीलदार या नाम तहसीलदार द्वारा नित सम्पत्तेप का यथा ज्ञान किया गया है ? यथा नियम का संबंध अनुसान ज्ञान है ? तथा किया जाता है ? यथा उपचार से एवं बापायों के अतिरिक्त के लिए संभव प्रबन्ध अनुसान ज्ञान है ? यथा किया जाता है ?

१५. सावधारणतया, संभव से जावेविधानों की उल्लंग की उल्लंग पर, यथा यह प्रतिवेषकालिकर का प्रयोग किया है ?

१६. यथा ज्ञानका किया जाता है ? यथा उनकी नियम ज्ञान के अनुचित में अतिक्रम है ? यथा अतिरिक्तियों के लिए कोई आवेदन संभव भाल जिसे नये आवेदनों के अनुचित में अतिक्रम है ? यथा अतिरिक्तियों के लिए कोई आवेदन नियमित भावानय शुल्क या स्थानीय शुल्क की न अवधारणी के लिए निरस्त किया गया है ?

९. यथा ज्ञानकों के प्रतिविमीं के लिए कोई आवेदन प्राप्त किया गया है, जिसमें ज्ञान कोई असमानीति छनराजि है, जिसे गोपी-सियाहा में यथा करना चाहिये ? यथा ज्ञान कोई छनराजि प्रसरणि ज्ञान जाता है, जिसे इस रजिस्टर में नहीं ज्ञान किया जाना चाहिये (उदाहरणार्थ-ज्ञाना वर्ष, नार लेल इयादि के लेख पर अवधारी) । यथा रजिस्टर ५ में ज्ञान की गोपी छनराजि परिषद्, नार लेल इयादि के लेख पर अवधारी । रजिस्टर ७ में कोई अतिरिक्त आगे कार्य विवर जो निरप्रबाध स्थ से जियाहा में बापा की जाती है ? रजिस्टर ७ में कोई अतिरिक्त ज्ञान जाता है ? रजिस्टर ७ में कोई अतिरिक्त ज्ञान जाता है ? रजिस्टर ७ में कोई अतिरिक्त ज्ञान जाता है ?

४85. शुरावात तथा वातिवेषकायों की गोपीत ज्ञान स्थ एवं अतिरिक्त ज्ञान स्थ का संपर्क

तियानी—इस शोषक को संहृष्ट की प्रति तथा हांग पर दियानी ताक कठोरता से मानित किया जाता है ?

१. यथा यांग के अतिरिक्त की क्या दियत है ? यथा ज्ञानों की यथासमय संहृष्ट किया जाता है ?

२. युवा वयों के गतिशील यथा है, उनके कारण यथा है तथा उनके संहृष्ट के लिए यथा कान्दम उठाये गये हैं ?

३. संग्रह की प्राप्ति की सूचना वह स्थान को बताता है ?

४. यांगों की ज्ञानियों का प्रतिवेष जीविये, जिसमें राजस्व का संग्रह कालिन है।

५. यथा कोई देस की है, जिसमें राजस्व के संग्रह के लिए विशेष यथार किया जाता है ? ये व्यवस्थायें नित स्थ की होती हैं ?

६. तहसील में ज्ञाने से संग्रह अनीन नियोजित किये जाते हैं ? यदि ऐसा है, तो कौन नियम यथा के अनुसार ज्ञानकों को संग्रह कर द्ये हैं ?

७. यथा देव द्वारा राजस्व के संग्रह में नियोजित किये जाते हैं ? यदि ऐसा है, तो कौन नियम यथा के अनुसार ज्ञानकों को संग्रह कर द्ये हैं ?

८. यथा ज्ञानका राजस्व राजस्व के संग्रह में नियोजित किये जाते हैं ? यदि ऐसा है, तो कौन यथा के अनुत्तर के विवर पृष्ठे से नियंत्र मापि रिट की संख्या क्या है ?

९. बहुतीय यथा राजस्व के संग्रह के प्रयत्न इन्हें जारी करने में करता है ?

१०. यहसीलदार द्वारा रिट बारे करने के पहले ज्ञानका प्रक्रिया क्या है तथा कौन-सा सिद्धान्त है जिनका अनुसार यह उन्हें जारी करने में करता है ?

११. यथा एक के अधिक रिट त्रौटी यथा अधिकारी के विवर यथा जारी किया गया है ?

१२. यथा कोई रिटपारी की गयी थी तथा रिटपारी उत्तरायत्र प्राविद्वारी के अंदीन भी ? निरोध के समय तथा स्थान का अवधेषण जीविये तथा परिणाम की गयी है ?

१३. यथा किनते मामताओं के बल सम्पति की कुमों की गयी है ? इन मामताओं में से कुछ का परिषय जीविये, जिससे यह निकाला जाय कि यथा तहसीलदार ने समुचित

१४. यथा अचल सम्पति की कोई कुमों की गयी है ? प्रबन्ध के विवरण तथा परिणाम की परिका कीजिये । तहसीलदार या नाम तहसीलदार द्वारा नित सम्पत्तेप का यथा ज्ञान किया गया है ? यथा नियम का संबंध अनुसान ज्ञान है ? तथा किया जाता है ? यथा उपचार से एवं बापायों के अतिरिक्त के लिए संभव प्रबन्ध अनुसान ज्ञान है ? यथा किया जाता है ?

१५. सावधारणतया, संभव से जावेविधानों की उल्लंग की उल्लंग पर, यथा यह प्रतिवेषकालिकर का प्रयोग किया जाता है ?

१६. यथा ज्ञानका किया जाता है ? यथा उनकी नियम ज्ञान के अनुचित में अतिक्रम है ? यथा अतिरिक्तियों के लिए कोई आवेदन संभव भाल जिसे नये आवेदनों के अनुचित में अतिक्रम है ? यथा अतिरिक्तियों के लिए कोई आवेदन नहीं ज्ञान है ?

भूमता के लिए विषय पापा है ? [परिचेद 1708]

४८६. नहर रखना

मरी है ? वहा बाहर संकेतों के लिए हैवार लिख गये हैं ?

विषय कितना है तथा उसका कारण क्या है ?

स्टम्प (बिनी, स्टम्प तथा लेखा)

आता है ? व्या बाहर संकेतों के लिए विषय प्राप्त की गयी है तथा लिखा है ? यदि ऐसा है तो क्या उनका

प्राप्त है ? व्या बाहर संकेतों के लिए हैवार लिख गये हैं ?

[परिचेद 1709 (1) तथा (3)]

१. व्या नहर अपावर्त्ती यथासंघर्ष प्राप्त की गयी है तथा लिखा विलम्ब विवरित किया

गया है ? व्या बाहर संकेतों के लिए विषय व्या आता है ?

२. व्या हस्तान्त द्वाक वर्षांत है ? (नियम 52 तथा 54 (म्), स्टम्प नियम संख्या ५०)

इसे बहन में व्या संघर्षित किया गया था तथा लिखा गया है ?

३. व्या स्टम्प रजिस्टरों को बचतन लिखा जाता है तथा विवरित एवं उद्धरण से

जुँक है ? व्या लिक्प शापम को विषयात में विवरित किया जाता है ?

४. व्या अनुसन्धान स्टाम्प बैंडर की संख्या आता है ?

में दिक्षिणों को नहीं रखता ? कितने बिनी-स्टम्पशाला हैं ? व्या बाहर २० सौ के कुल्य के स्टम्पों को विषयात द्वाक तो ज्ञानी के बहतोंने में विषयात जाता है, जब संदर्भ बनारसि २० ५०

से अधिक है तथा व्या उन्हें समुचित लम्बे नियम द्वाक से विषयात जाती है ?

६. व्या अनुसन्धान के लिए व्या उन्हें सदर से अपने स्टम्प को पूरा करना है ? (नियम ६९ तथा

व्या नहरीलदार सूट से विवरित नियमों को नमूना है ? (नियम ७० तथा ९९,

स्टम्प नियम संख्या १)

व्या जाता करने का हृष्टार है ? (नियम ७०, ९९ तथा ११३-११६, स्टम्प नियम संख्या १)

७. व्या अनुसन्धान स्टम्पशाला मूल संकेतों को समुचित लम्बे नियम १४६ से १५२ तक, स्टम्प नियम संख्या १)

नियम १४६ से १५२ तक, स्टम्प नियम संख्या १)

८. व्या लोपागार छारा सुगतान के लिए २० ४० से लाखिक हैं वाले लिसी अस्त्रामित

बाहर का पता लगाया गया है ?

९. व्या लिजो शर्मों के लिए व्या जाने जैसे प्रतिस्तिप्रियों पर व्यासात्मक व्युत्पन्न स्टम्प लोकों

व्यादि में प्रसारित है ?

१०. व्या पदधारियों के समझ उनके परीय समझ में आने वाले इसके व्यासात्मक का परीयण

व्यास ३३ के अधीन परिवर्तन किया जाता है ? तो स्टम्प अधिनियम की

लिंग जाता है ? व्या बाहर संकेतों के लिए विषय प्राप्त की गयी है, जिसमें

व्यास जैसा व्यापार्य फुल्क लेखन जाता है तथा लिख पर व्याविकारकोंमें व्या उनके

विवरितीयों के अतिरिक्त व्या व्याविकारकों के नाम फुल्कफिल्क किये जाते हैं.

प्राप्त है ? व्या व्याविकार की व्यापार भूमि है ?

१३. व्या उन भागलों में अनावश्यक रूप में फ़ाल्तू भेजी जाती है, जहाँ प्रतिलिपियाँ

प्राप्त हैं ? (सिविल प्रिया संहिता, १९०८, प्रदम अनुसूची, आरोग १३, नियम

१०)। व्या दुर्ल फुल्क प्रभारित किया जाता है, जब ताके भेजी जाती है ?

१४. व्या सामियों को अंतिक फ़ाल्तू के लिए द्वितीय तथा प्रश्नात्मकर्ता आवेदनों की

अस्तीमित कागजात पर अनियन्त्रित है ? (१८७० का व्याविकार संख्या ७, धारा १७, व्यापार १४)

१५. व्यासों के किस व्याविक प्रमाण-नामों ने सदर को भेजा जाता है ? (नियम २०१, स्टम्प नियम संख्या)

(द्वितीयी—कौनसे अतिरेक के स्टाम्पपन के सामान्य वारेंगाम को विषय विवरण के इस

परिवर्क के अधीन अधिनियमित किया जाना चाहिये)।

[परिचेद 1710]

१. व्या आवकासी राजस्व यांग को व्यापार, विशेषकर मामूली हैविष्ट वाले ५० लेखों

के नियमों द्वाक तक व्याविकर इसके लिए व्यापार भूमि है ?

२. तहसीलदार छारा अपने तहसील में प्रदेश इकान को देखा तुमा, स्टम्प तथा अधीन

के नियमों द्वाक तकते वाले विवरण को सदर से यात करने पर व्या कार्यवाही की जाती है ?

(नियम २६, अवकासी नियम संख्या १)

३. व्या नायव तहसीलदार, तहसीलदार के नियमों के अधीन, व्याविक प्रमाण-नाम के

वर्ष के दोरान तहसीलदार ने कितने अनुसन्धान तुलानों का विरीक्षण किया है ?

४८७. आवकासी

१. व्या आवकासी राजस्व यांग को व्यापार, विशेषकर मामूली हैविष्ट वाले ५० लेखों

के नियमों द्वाक तक व्याविकर इसके लिए व्यापार भूमि है ?

२. व्याविकर इसके लिए व्यापार भूमि है ?

(नियम २५—२७ तथा ११४—११६ में नियमित फ़र्तनों के अनुपालन में स्थायीता करता है ?

व्याविकर के दोरान तहसीलदार ने कितने अनुसन्धान तुलानों का विरीक्षण किया है ?

[परिचेद 1714]

४८८. स्टम्प तथा लेखा तथा

१. भावनी, व्याविकारों के राजस्वर्द्धने स्थायीद का परीक्षण कीविमें ।

द्वितीयी—यह आवायित नहीं है कि व्याविकारों के ताज्जरीको समान किसी यांग का वार

अपने अवर लेता चाहिये ।

२. व्याविकर यांग-नामों के अवर संघर्तों के लेखा को रखता है ? यदि ने व्यापार भूमि

के वहाँ है, तो कारण यांग है ? यांग में हाथी भागलों में व्यापारभूमि शोध ध्यान में लाये जाते हैं ?

[परिचेद 1712]

४८९. लोपागार, सामान्य लेखा तथा तुरा

१. तहसील में लेखा का व्यवहार में अतिरेक व्यापार के लिए व्यापार भूमी तुलना करके परीक्षण कीविमें ।

गणना कीजिये । यह देखिये कि अतिरेक व्यापार को तहसीलदार या उप-व्याविकार के प्रधारी

व्याविकारी द्वारा या इसकी तुदीतों के प्रभाला में तहसीलदार या उप-व्याविकार के प्रधारी

व्याविकारित की जाती है व्या आवेदन यांग है ? तथा लिख पर व्याविकारकोंमें व्या उनके

व्याविकारित की जाती है ? व्या देखने व्याविकारकोंमें व्या उनके

व्याविकारित की जाती है ? व्या देखने व्याविकारकोंमें व्या उनके

व्याविकारित की जाती है ? व्या देखने व्याविकारकोंमें व्या उनके

व्याविकारित की जाती है ? व्या देखने व्याविकारकोंमें व्या उनके

व्याविकारित की जाती है ? व्या देखने व्याविकारकोंमें व्या उनके

३. कथा भूमि विकास चक्रार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अधिस तहसील की अपेक्षाओं जीव

हाईकोर्ट में प्राप्त हैं कि यथा उसी नियमदार उत्त अपेक्षाओं से परिवर्तित हैं कि यथा यह अपेक्षा दोनों के बोरोनमें चरम विषय पर कोई अधिकारिया है या दोनों विषयों की प्राप्ति जो नियमित कराता है, जिसके

तिष्ठ अरिम दिया गया है ?

नियम के अधीन ब्रिटेन के लिए वर्त आइट लिया जाता है या भुगतान लिया जाता है।

३- यथा नेहमालदर या नायब तहमालदर दूनक तेहमाल त्रामा ताकावी शम्पुति पर हस्ताधार करने के पूर्व इसका कौ समाजन भरते हैं कि बहुली पूर्व है तथा कि आज को मृद ज्ञ

से विज्ञालत किया जाता है ?

वास्तुपरम की विषय में वृच्छा प्राप्त करता है। वह शाम वापस महसीनदर ने अलिगात स्पष्ट करने की विदेशी विधि है। इसका उपयोग वृच्छा के लिए जारी करने का बहुत बड़ा फायदा है।

उचित क्षम से उपयोग नहीं किया था।

मां सु-सेष निरीक्षक द्वारा निरोक्षण के बाद लिपा गया था ?

8. बया किसी भूमि को भव्यदार के स्वप्ने करार के निष्पादन के असफलता के कारण उत्तम रूप से वर्णिया जाता है? (नियम 181, राजाली नियामनी, 1942)

9. क्या यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कर्वेदर पर जलकी निपरानी रखी जाती है?

[Digitized by srujanika@gmail.com]

४९। विद्युत सरकारी आवेदनों की विवरणिका तथा उन्-कोषधार के लिए विविध नेता संस्थानों के बीच प्रयोग का विस्तरण

1. क्या दहोल में निवास करने वाले सिविल तथा सैनिक प्रेषणनरी को सुनी रखी जाती हैं?

है, जस्ता नेट सरकारी आदेशों का निवेदण का परिचय है। १४८ शाय भाषण मध्यमत्र है ?

समय के स्थानी शृंखला का स्वयं तथा विवरण करता है ?

नाहसीतार ऐसे नियों को सम्पादित करता है ?

५. यह मुनिप्रबत करने के लिए कानून-सा कारबम उठाया जाता है कि सेव्याम/पटवारी इस सम्बन्ध में प्रयोग करते हैं?

५. मुख्य के भाषणों में अधिकारी करते हैं? अपने होने वाले के नेतृत्व द्वारा को के सम्बन्ध में जो विषयों

6. क्या रहस्यमार्ग तथा नायन रहस्यमार्ग, जब दोनों पर हो, प्रेषणघारकों में से किसी

पांडित जी का दावा व्यापकता के लिए वह निरन्मयता करने को प्रयत् न चाहता है तब तो जीवित है ?

में लिखने दिन रहा है ? यह व्यक्तिगत रूप से लहसुलभावर या नामक लहसुलभावर भारत का बोधा या भारतीय का जाता है ?

१. यथा एवं मनवाचारियों की मुख्य की विवेद तत्काल सदर व्यापारियों को भी जाती है ?

२. यथा एवं मनवाचारियों का जाता है जब लिखने लेखन प्रक्रिया जाता है ?

३. यथा एवं मनवाचारियों के नामों को मुनिशिष्ट करने के लिए जीन-सा वद्व दर्शया जाता है, यदि प्रश्न लगायत है ?

४. यथा कोई नेत्रन सरकारी अदेशों की निर्देशिका के परिवर्णन ७१८-८ के बोधी तहसील में संरेख है ?

५. यदि ऐसा है, तो यथा तहसीलभावर उनकारी अदेशों की निर्देशिका के परिवर्णन ७१८-८ के प्रवर्णनात्मकों का लक्ष्य राजस्व करता है ?

६. यथा व्यापारी शुगतान आदेश प्रेस मासिल में तहसील में या दस्त में ज्ञाना जाता है ?

७. यदि तहसील में रथा जाता है, तो इसे कहा जाता है तथा यदि जिस विवेद में है ? यथा यह प्रवर्णनात्मकों या जनसत्तां के लिए प्रवेश्य है ? यथा व्यापारी शुगतान अदेशों की कानून के अनुसार पूर्ण है ?

८. यथा जनों शुगतानों का उल्लेख दिया जाता है तथा व्यापारी वहसुलभावर प्रवर्णनात्मकों के विवेद का मूल जारी से वर्च करता है तथा शुगतान के पहले प्रविष्टियों को आदायकता करता है ?

९. यदि तहसीलभावर द्वारा जनसत्ताने के लिए कोन-सा व्यवस्था लडाया जाता है ?

१०. यथा कोई नेत्रन सरकारी अदेशों की निर्देशिका के परिवर्णन ७१८-८ के बोधी

४९२. रजिस्टर कानूनी

१. जनसत्ताने के व्यापारियों से मृग है ?

२. यथा एवं मनवाचारियों का जाता है ? यथा वितरण समापनप्रद है ?

३. यथा जाता है ? यथा दर्दों आमानी से ज्ञाना जाता है ? यथा व्यापारियों को उचित व्यापारियों से लहसुत है ? यथा आमिलक लहसुलभावर से वापिल किये जाते हैं ? यथा दर्दों में रक्षा जाता है ? यथा उन्हें वरपत्रा से वर्षता में रक्षा जाता है ? यथा दर्दों में वर्षता में वर्षायक विवरण के नाम से की रिपोर्ट की जाती है ? यथा वर्षा में सीधी कानूनीत है, जिन्हें इसा वाहिये ?

४. यथा जाना वाहिये, विनियंत्रकरण द्वारा वर्षा में सीधी कानूनीत है ? यथा मीने कानूनीत, जिन्हें विनियंत्रकरण द्वारा वर्षों को टूप्पे परवाना वर्षों में विवरण स्पष्ट है ?

५. यथा सांख्यिकीय तकनीकों को टूप्पे परवाना वर्षों में विवरण स्पष्ट है ?

卷之三

(क) पात्र लोगिष्ठी की प्राप्ति - यथा कोन, भस्तु, जोत तथा दिरपा का साम्बन्धी सार रसाले भूलेख निरीक्षक से प्राप्त किया जाता है ? क्या कोई भूलेख निरीक्षक आदरत चकाये में है ? क्या यह सांख्यिकी प्राप्त के रूप में पूर्ण है ? क्या बीमा का उचित रूप से एकदम सम्पत्तित विना जाता है ? क्या घट-जड़ की उचित रूप से सम्पत्ति विना जाता है ?

(७) यहस्त से स्वामीत राजेश्वर—क्षमा अपराह्नत राजेश्वर रख जाते हैं ? यथा वे प्रयोग हैं ? यथा उन्हें उत्प्रियत क्षम से दैवार क्षमा जाता है ? यथा वे अद्यतन हैं ? यथा उन्हें क्षम से उनका धारा लिया जाता है ?

(७) याम रसिस्टर—मोजा रजिस्टर, यत्तना रजिस्टर तथा पराना पुस्तिसंग के बीच उपर्यांतों का परालेण नीविये: मूल सोधकों से वांकों की प्रयत्न संख्या जो प्रयोग में वर्षिष्ठत रजिस्टर के गोण के माध्यम से इस प्रकार खोके गये संख्या ता रजिस्टर करते हुए खोलिये तथा प्रयोग पुस्तिसंग या रजिस्टर के लिए उत्तेज जीलिये। यथा चाहूँ अच्छी विधि में है? यथा यह स्थान्तर से जिता जाता है? यथा लिखित उपर्यांतों के जिति अन्तर्वृत्तों का समान जाता है?

सभा प्रयोगों को तत्त्वमों के उप-विभाजन मा अन्यथा द्वारा जिता नाविकार के परिवर्तित जिता यथा है? यथा अंकों को शुद्धता से प्रविष्ट जिता यथा है? यथा नवीनतम वर्तुतेज्ञा तथा पृष्ठ गणना के सम्बन्धों को दर्शात किया गया है?

मीठा रविस्तर के लिए पुनः चलोत्तम फर्म-स्था नियासित भृत-बहू को स्वस्थ किया गया है ? यथा आपके निवासि के लिए इसका अधिकारित किया गया है ? यथा मासिक परिवार की संख्या नवीनतम रूपों को शिखित करता है ? यदि ऐसा है तो यथा मासिक की विद्या अधिकारी के जात में बाया गया है ?

प्राणी पुरुषों के लिए क्या हिष्पो माधिकार के बिना अस्तित्व द्वारा की गयी है? यथा हिष्पों का अवश्यक है?

(b) सामग्र्य—भया गर्वों को समी रिस्टरो में रही कम में प्रविष्ट किया जाता है ? यदि नहीं, तो यथा प्राप्त अनुक्रमणिका प्रदान की जाती है ? भया इन रिस्टरो में प्रविष्ट का डंग सम प्राप्त है कि आनंदप्राप्त अथ को बचाया जाय ? यथा सामग्री को समाप्तानी सबर को भेजा जाता है ? जिसी विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिये, जो पिछले दो वर्षों में हुआ है ?

5. बेवट तथा छतोनी का परीक्षण—बेवट का परीक्षण क्षेत्र जिया जाता है ? यथा परीक्षण दृष्टि है ? यथा कार्य अद्यतन है ? क्या छतोनी की तुलना उपरित स्थ से शुद्धि-न्त चूची जै, की जाती है ?

क्या बहनी मे प्रसवात्मता प्रवर्षणा का विषय था ?
 का कार्य अद्यतन है ?
 6. प्रस्त्रों की स्वाक्षर पुस्तिका—स्त्रा द्वारा पुस्तिका को उन्नीत रूप से रखा जाता है ? स्त्रा यह द्वारा पुस्तिका के समान है ?
 क्या प्रस्त्रों के द्वारा को उचित रूप में रखा जाता है ? स्त्रा यह द्वारा पुस्तिका के समान है ?
 क्या शेषपाल प्रस्त्रारे द्वारा दाखिल किये गये अधिकार यो को दर्शात करते हुए वाली प्रस्त्रों के अधिकारों को अलगविट करते हैं ? क्या प्रस्त्रों को जन्म तरीके से नष्ट किया जाता है ?
 7. स्वैच्छक वस्त्रावेच की स्वाक्षर पुस्तिका—स्त्रा द्वारा पुस्तिका को उन्नीत रूप से रखा जाता है ? व्याप उपकरणों का द्वारा (जहाँ रहस्य में रखा यथा है) द्वारा पुस्तिका के बहुल्लभ है ? क्या ये वस्त्रावेच के लिए पर्याप्त है ? स्त्रा को उचित रूप में है ?

क्षमा स्वाक रजिस्टर भी भू-सूचि नियोगीक की अवधुत केवल अपनी ही दस्तावेज़ पर आपन के प्रमाण में हस्ताक्षरित किया जाता है, जब प्रभार का अन्तरण होता है।

8. बापबाली का रिकॉर्ड—या रिपोर्ट नियमित स्थूल में ग्राम जिसे जात है ? यथा वे उपचतुर तक जिसे जाते हैं ? या वे रत्नाल मुख्यतया जो को लेखन लिखे जाते हैं ? यथा पशु-देह की दार्शनिक विवरणी नियमित स्थूल से प्रस्तुत की जाती है ?

९. सर्वार्थी सम्बन्धित शा राजनीति-शा ने राजनीति पूरा है ? जो ये उचित रूप से किए गये हैं ? अजन्म तथा अन्य मंडलों द्वारा उत्तराधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए

परा अवधारा की जाती है ?

१८६५ वर्ष के अंत में यह दोनों देशों के बीच एक विश्वासी समझौता हुआ।

हे तथा उनकी समाज से रखा जाता है। यह मुस्लिमों के देशों में, वह प्रतिष्ठित की जाती है कि यह एक अल्पसंख्यक ग्रामीण जाति है, जो आज भी अपनी जाति की विशेषताओं से बदला जाता है।

12. नियम तथा परामर्श—तथा नियमों की वापरात् भावना दूषण करने की विधि नियमों द्वारा अनुदर्शक की अविवेक नियोजना को उचित रूप से बाने तथा व्यवस्था देने के लिये जाने के समय से बाहर रखा गया है?

१३. अणीन कायं— रिक्सार कार्यान्वयो कीन काया नियमाबलो के माहूर फरसा है? क्या

संस्कार की स्वाकृति प्राप्त कर लो नहीं है ; यहा देखा जाएगा कि इनका उपयोग क्या है ? यहा बड़ा बहुत अधिक विषय है किया जाय ? यहा प्रभीण लागतों को लेखना से निष्ठामा जाता है ? यहा बड़ा बहुत अधिक विषय है ?

493. नज़्र स तथा राज्य सम्बन्धि -

१. यथा रविस्तर दुष्ट तथा अद्यावधिक हैं यथा वे दुष्ट हैं तो समाजिक विवरण में यथा दुष्ट हैं तथा समाजिकों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ दुष्ट तथा समाजिक

नवशास्त्र अंतर्वेष्टक है।
2. क्या जिल्हे बर्च के दोरान अनुदान मा पट्टा द्वारा जिसी सम्पत्ति का अध्ययन किया गया है ?

3. व्याख्याम् शुभि के पट्टों
के बारे में नियमों का प्रिज़िल वर्ष के दौरान सभी पट्टों
मामले में अनुप्राप्त किया गया है ?

कोई
घनत्व
जमा
परि
अपरं
को
वया

अभिनिप

वर्ता

उत्त
को

से

है

तो

के
को

का

क्र

नि

वि

प्रा

१

१

4. अतिक्रमण को निवारित करने के लिए कौन-सा कदम उठाया गया है ? क्या स्वामित्व के सरकारी अधिकार का प्रयोग पिछले वर्ष के दौरान सभी राज्य सम्पत्तियों पर किया गया है ?
5. राज्य सम्पत्तियों के स्वामीय प्रबन्ध के लिए इस तहसील में क्या प्रबन्ध किया गया है ? क्या वे लक्ष्य हैं ?

6. पिछले वर्ष मार्ग क्या थी ? क्या इसे पूर्णतः संभ्रह किया गया था ?

7. क्या लेखाओं का रख-रखाव उचित रूप से किया जाता है ? क्या भाटक की अदायगी पर रसोद सदैव दिया जाता है ?

[परिच्छेद 1718 (भाग)]

494. प्रकीर्ण

(तहसील के लिए अन्य विभिन्न भागों)

1. क्या परिच्छेद के परिपलों, राजस्व नियम संभ्रह, सरकारी आदेशों की निर्देशिका तथा अन्य नियम संग्रहों को सावधानी से रखा जाता है ? क्या शुद्धि तथा अभिशुद्धि चिटों को स्वच्छता से तथा अचावधिक रूप से चिपकाया जाता है ? क्या आदेशों में नवीनतम परिवर्तनों को समझा गया है तथा उचित रूप से लगाया गया है ?

2. जिला परिच्छेद के सम्बन्ध में तहसीलदार के कार्य की सामान्य प्रकृति के सम्बन्ध में तथा नार क्लों, शास पंचायतों, शास सफाई तथा धन्य प्रकीर्ण यामलों पर उसके द्वारा प्रयुक्त पर्यावरण की प्रकृति के सम्बन्ध में टिप्पणी कीजिये ।

3. तहसील में कितने गांव पंचायत हैं ? क्या वे सभी कारबार का संबंधवाहक करते हैं ?

[परिच्छेद 1718 (भाग)]

अध्याय 29

आयुक्तों द्वारा जिला कार्यालयों तथा तहसीलों का निरीक्षण

495. आयुक्तों से स्वयं का समाधान करने के उद्देश्य से जिला कार्यालयों का निरीक्षण

जी० औ० संक्षेप 1000 (बी) / LXXXXIII/54, दिनांक 31 मार्च, 1970	करने की शपेक्षा की जाती है कि कार्य समाधानप्रब स्थिति में तथा कि कोई स्वष्टि लुटि या विषम का उल्लंघन नहीं है, जिसके प्रति ध्यान दिया जाता है। अभिशुद्धि कलों का वर्ष में कम-से-कम एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिये तथा अन्य विभागों में से कुछ का उसी समय समीक्षा करना चाहिये ।
---	---

[परिच्छेद 1729]

496. विभेदकर आयुक्तों को स्वयं का समाधान करना चाहिये कि जिला अधिकारी ने अपने कार्यालयों का विहित निरीक्षण कर दिया है; कि निरीक्षण के समय कलेक्टर या आयुक्त द्वारा पारित सभी आदेशों को नियादित कर दिया गया है; तथा कि सरकार या परिच्छेद के सभी नवीन आदेशों या परिपलों को जाना जाता है तथा अनुपालत किया जाता है । [परिच्छेद 1724]

497. निरीक्षण के परिणाम तथा उससे उद्भुत आवश्यक अनुदेशों को इस प्रबोजन के लिए रखी गयी पुस्तिका में आयुक्त द्वारा अभिशुद्धि किया जायेगा तथा समुचित आदेश जिला अधिकारी द्वारा विलम्ब के बिना पारित किया जायगा। आयुक्त के निरीक्षण की टिप्पणी तथा उप पर जिला अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शित करते हुए टिप्पणी के साथ उनके अनुदेशों की प्रतिलिपि को सूचना के लिए राजस्व परिच्छेद को भेजा जायगा। परिच्छेद आयुक्त के निराकाश

VI—नकल अनुभाग

सूचना के लिए मुख्य बिन्दु आवेदनों के निपटारे में तत्परता, प्रत्येक नकलनवीस द्वारा कार्य की बारी, अत्यावश्यक आवेदनों में से निरस्त कुल तथा सामान्य का अनुपात, उचित लेखाओं तथा रजिस्टरों का रख-रखाव, नकल के लिए प्राप्त किये गये अभिलेखों की यथासमय वापसी तथा प्रभारी अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक द्वारा प्रयुक्त पर्यवेक्षण का मूल्य हैं।

VII—नकारात

इस शीर्षक के अन्तर्गत नाजिर के लेखाओं की स्थिति, उन्हें जाँच करने के लिए व्यवस्था, उसके हाथ में प्रेष असाधारण रूप से विशाल अतिशेष; आदेशिकालों के निपटारे, मालखाता तथा हसके रजिस्टर की स्थिति तथा कार्यालय अधीक्षक द्वारा प्रयुक्त पर्यवेक्षण की सूचना दी जा सकेगी।

VIII—न्यायालय कार्य

इस शीर्षक के अन्तर्गत जिला अधिकारी द्वारा प्रयुक्त पर्यवेक्षण, अधिकारियों के मध्य न्यायिक तथा प्रशासकीय कार्यों का वितरण, दाण्डक मामलों को शामिल करके सभी प्रकार के कार्यों के निपटारे में समय निष्ठता, विहित रजिस्टरों का रख-रखाव, अभिलेखों में कागजातों की उचित नत्यों, अभिलेख कक्ष को अभिलेखों का यथासमय प्रेषण, न्यायालय को दिये गये निर्देश पुस्तिका की पर्याप्तता तथा स्थिति, स्टाम्प नियमावली का अनुपालन तथा अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों के ऊपर प्रयुक्त पर्यवेक्षण का उल्लेख किया जा सकेगा।

IX—भूमि अर्जन

इस शीर्षक के अन्तर्गत भूमि अर्जन मामलों के निपटारे में विभिन्न प्रक्रम के लिए राजस्व परिषद् तथा सरकार द्वारा विहित समय सीमा के अनुपालन में विचिह्नित निर्देश के साथ जिला में भूमि अर्जन कार्य की प्रगति का परीक्षण किया जा सकेगा।

X—प्रकार्ण

निम्नलिखित शीर्षक “राजस्व” राजस्व से सम्बन्ध नहीं रखते किन्तु प्रकार्ण मामलों के, जिसके प्रति ध्यान आवश्यक है, निर्देशक के रूप में वर्णित किये जाते हैं। आयुक्तों से किसी अन्य मामलों को स्वयं अपने लिए उल्लेख करने की आशा की जाती है, जिसे अनुभव ने उनके पर्यवेक्षण की अपेक्षा करने के लिए दर्शित किया है :

- (1) जिला गजेटियर में सांख्यिकीय प्रविष्टियाँ,
- (2) आयुधों तथा विस्फोटकों का निरीक्षण,
- (3) ईसाई विवाह रजिस्टर तथा विवरणी।

तहसील का निरीक्षण भी आयुक्त द्वारा किया जाना चाहिये। निरीक्षण किये गये विभागों पर उनकी टिप्पणियों को तहसील निरीक्षण पुस्तिका में अधिलिखित किया जाना चाहिये, जिसे आवश्यक आदेशों को निर्गत करने के लिए जिला अधिकारी को भेजा जाना चाहिये।

टिप्पणी में के किसी चीज को सरकार को अग्रसारित करेगी, जो सामान्य महत्व का होना प्रतीत होती है या जिसे वे समझते हैं कि सरकार के हित में होगी। [परिच्छेद 1725]

498. निम्नलिखित विधयों की सूची उन मामलों को निर्दिष्ट करती है, जो साधारणतया विशिष्ट विभागों में ध्यान आकर्षित करती है किन्तु सर्वांगपूर्ण होना आशयित नहीं है। आयुर्व्वेद को कार्य के विशिष्ट शाखा के अपने निरीक्षण के विस्तार तथा बारम्बारता के सम्बन्ध में अपने विवेकाद्धिकार का प्रयोग करना चाहिये, अभिलेख कथ प्रत्येक वर्ष में केवल निरीक्षण की अपेक्षा करता है। [परिच्छेद 1726]

I—भवन तथा कार्यालय की स्थिति

इस शीर्षक के अन्तर्गत आवास के पर्याप्तता को ध्यान में लिया जा सकेगा तथा विशेषकर परिसर को शामिल करके भवन सुमारे या विस्तारित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क संवेदकों की अपेक्षा होती है कि प्रक्षिप्त परिवर्तन सर्वोत्तम सम्बन्ध रूप में अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

II—संस्थापन

इस शीर्षक के अन्तर्गत नये नियुक्त या पदोन्नत पदधारियों के अहंता के सम्बन्ध में स्थायी आदेशों के अनुपासन, सेवा मुहितका तथा चरित्र पंजी की स्थिति, जिलों की संख्या तथा शेषी, आकस्मिक अवकाश रजिस्टर तथा जिलों के मध्य स्थानान्तरणों की आवश्यकता का उल्लेख किया जा सकेगा।

III—कलेक्टरी कार्यालय

इस शीर्षक के अन्तर्गत कलेक्टरी कार्यालय के कार्य, जिला के अन्तर्गत तथा बाहर पत्राचार का ध्यान, समय तथा अग्र बचाने वाले साधन तथा जिला अधिकारी, प्रभारी अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक द्वारा प्रयुक्त पर्यवेक्षण का उल्लेख किया जा सकेगा। नियमावली के अन्तर्गत पत्राचार तथा काल्पनिकों के विवेचन, अभिलेखों की स्थिति तथा भण्डारण, छंदाई की प्रगति, विभाग में विहित रजिस्टरों तथा लेखाओं के रज-रखाव, रेलवे के लिए अविश्वीत भूमि के अनुसुचियों की तैयारी, विवरणियों को पेश करने में सभी निष्ठता का भी उल्लेख किया जा सकेगा। पुस्तकालय की स्थिति, भू-राजस्व का अंशह, तकातों या अन्य सरकारी बकाया, उनके लेखाओं तथा भूमि अभिलेख तथा कार्यालय के सूमि सुधार अनुभाग की स्थिति का उल्लेख किया जा सकेगा।

IV—कोषागार कार्यालय

इस शीर्षक के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया जाना चाहिये कि कोषागार से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त कौन-सा अन्य कार्य कोषाधिकारी को समनुदेशित किया जाता है तथा कैसे नियमों का अनुपालन किया जाता है।

V—अभिलेख कक्ष

राजस्व तथा वाणिज्य दोनों अभिलेख कक्षों में ध्यान की अपेक्षा करने वाले प्रमुख मामले जमा किये गये अभिलेखों का तत्काल तथा सही निपटारा, रजिस्टरों का उचित रज-रखाव, मन्त्रा-समय तथा वास्तविक छंदाई, अभिलेखों की सामान्य दण्डा, स्टांडर्ड नियमावली का ध्यान, अपरिचितों का विवरण, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए व्यवस्था, अध्यपेक्षा पर अभिलेखों को निर्गत करना तथा अभिलेखपाल, कार्यालय अधीक्षक तथा प्रभारी अधिकार द्वारा प्रयुक्त पर्यवेक्षण है।

, प्रत्येक नकलनवीस द्वारा का अनुपात, उचित लेखाओं की व्यासमय वापसी तथा है।

च करने के लिए व्यवस्था, निष्ठारे, मालखाना तथा पर्योग की सूचना दी

जन, अधिकारियों के भव्य मिल करके सभी प्रकार के अभिलेखों में कागजातों की व्यालय को दिये गये निवेश या अधिकारियों द्वारा अपने

भव्य प्रक्रम के लिए राजस्व और निवेश के साथ जिसा ॥

(क) किन्तु प्रकीण मामलों के इन आयुक्तों से किसी व्यापक अनुशव ने उनके पर्योग

निरीक्षण किये गये निभाने किया जाना चाहिये, जिसना आया जाना चाहिये।

अध्याय 30

बौरे

क—आयुक्तों द्वारा बौरे

499. आयुक्तों द्वारा बौरे—आयुक्तों से वर्ष में एक बार अपने प्रखण्ड में के प्रत्येक जिला कार्यालय का निरीक्षण करने की जाती है। यह वर्षा ऋतु में अधिक सुविधापूर्ण रीति से किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें शीत ऋतु के दौरान अपने प्रखण्डों के जिलों में दौरा करना चाहिये। या निरीक्षण करना चाहिये तथा दूसरे अवसरों पर जब भी आवश्यक हो, तब जिला प्रशासन तथा स्थानीय मामलों के सभी पहलुओं से स्वयं को सम्बद्ध रखना पर्याप्त होगा।

आयुक्तों को चार वर्ष में एक बार प्रत्येक तहसील के निरीक्षण का उद्देश्य रखना चाहिये।

[शासनादेश संग्रह का परिच्छेद 10]

ख—जिला कर्मचारियों द्वारा बौरे हेतु व्यवस्था

500. जिला अधिकारी द्वारा बौरे की व्यवस्था—(क) प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर तक जिला अधिकारी को उन अवधियों को निर्धारित करना चाहिये, जिनके दौरान उप-खण्डीय अधिकारी दौरे पर जायेंगे। वह यह भी विचारण करेंगे कि किसी अन्य अधिकारी के लिए दौरा करना आवश्यक है, तथा विशेषकर, प्रशिक्षण के अधीन अधिकारियों के मामले में व्यवस्था करनी चाहिये कि उन्हें समुचित अवधि के लिए या तो स्वयं के साथ या अनुभवी उप-खण्डीय अधिकारी के साथ दौरा करना चाहिये।

(ख) उसे उसी समय अपने कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए दौरा अनुदेशों की रूपरेखा बनाना चाहिये तथा इन अनुदेशों की तथा अपने कर्मचारियों के दौरे के लिए नियत अवधि की प्रतिलिपि 24 अक्टूबर तक आयुक्त के पास भेज देना चाहिये।

(ग) उसे वर्ष में कम-से-कम एक बार प्रत्येक तहसील तथा प्रत्येक पुलिस थाने का निरीक्षण करना चाहिये।

(घ) उसे शरद ऋतु के प्रारम्भ में भी इस बात का सम्यक् ध्यान रखते हुए, कि क्या तहसील मुख्यालय या पुलिस थाना निरीक्षण आवश्यक है, अपने दौरा कार्यक्रम को प्रस्तुत करना चाहिये। [शासनादेश संग्रह का परिच्छेद 11]

501. उप-खण्डीय अधिकारी का दौरा बोकाना—(क) प्रत्येक अधिकारी को नवजी के साथ-साथ एक विस्तृत दौरे का कार्यक्रम कम-से-कम प्रत्येक पन्द्रह दिन से पहले तैयार करना तथा उसे जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। कार्यक्रम को तैयार करने में निम्न तथ्य की जांच की जायेगी—

(क) अपने उपखण्ड के मितव्ययों स्थिति के परीक्षण हेतु इस प्रसंग में भू-लेख नियम संग्रह के अध्याय 3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिये।

(ख) यह निश्चित करने की व्यष्टि से कि भू-लेख निरीक्षक तथा लेखाल को कोन से हूल्के का निरीक्षण किया जाना है, भू-लेख नियम संग्रह के परिच्छेद 577—581 के अधीन अपेक्षित भू-लेख का निरीक्षण।

यह उप-खण्डीय अधिकारी के कार्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण भागों में से एक भाग है तथा यह कार्यक्रम छः लेखालों के प्रत्येक उपखण्ड के लिए दौरों का व्ययन समुचित पक्षतात्त्व हेतु दर्जयेगा।

- (ग) अपने उपखण्ड में व्याप्त कानून तथा व्यवस्था तथा साधारणतया ग्रामीण अपराज्ञ की स्थिति तथा प्रलिस यानों का निरीक्षण।
- (घ) न्यायिक कार्यवाहिनीों से भवन्दनिधत्त स्थानीय निरीक्षण की बांछनीयता।
- (इ) अधिकारियों द्वारा नगर नोकों के निरीक्षण की बांछनीयता।
- (ज) ग्रामीण लोकों में गमी वगों के साथ निकट सम्पर्क रखना।
- (झ) गौव सभाओं, भूमि प्रबन्धक समितियों तथा पंचायती अदालतों के कार्य तथा गठन के परीक्षा की बांछनीयता।
- (ञ) निमित्त विकास योजनाओं के निरीक्षण की बांछनीयता तथा विकास खण्डों का निरीक्षण, तथा
- (ञ्ञ) कोई अन्य मामलों के व्येक्षण तथ्यों की जानकारी।

[शासनादेश संग्रह का परिच्छेद १२]

502. ग्रामीण लोक का दौरा—सरकार चिरो-पिटे तथा दकियादूसी से तैयार किये गये जासान यात्रा वाले दौरा के कार्यक्रम, जो ग्रामीणों के जन-जीवन के वास्तविक संज्ञान के लिए अपर्याप्त होते हैं, फो दालने का विशेष महत्व देती है। जिला अधिकारी को यह मुनिशित करने के लिए, कि इसमें तथा पूर्ववर्ती परिच्छेदों में वर्पणित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाये, दौरा कार्यक्रम की संवेदना करनी चाहिये तथा, यदि आवश्यक हो तो उसे उपान्तरित करना चाहिये।

[शासनादेश संग्रह का परिच्छेद १३]

503. दौरों की अवधि—(क) जिला अधिकारियों के लिए दौरा की सामान्य अवधि ४५ दिन होगी। जहाँ कलेक्टर के लिए ४५ दिनों की पूर्ण अवधि के लिए स्वयं दौरा करना असम्भव है तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध है, वहाँ कलेक्टर को कम से कम १५ दिन दौरा करना चाहिये तथा उस कमी को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूरा किया जायेगा।

(ख) उप-खण्डीय अधिकारियों के लिए दौरों की अवधि एक मास तक सीमित होनी चाहिये। यदि, विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर इस अवधि को एक मास की अवधि से उपर्युक्त तक बढ़ाना चाहते हैं, तो वह सरकार को जिसके लिए यह विस्तार आवश्यक हो, उनके तर्क तथा कारण की सूचना देते हुए ऐसा कर सकेगा।

कर्वी तथा महोबा के उप-खण्डीय अधिकारी के मामले में, अवधि जिला अधिकारी के विवेक पर हीम भास तक बढ़ायी जा सकती।

(ग) तहसीलदार को तहसील के आकार के अनुसार ४५—६० दिन के लिए दौरा करना चाहिये।

[शासनादेश संग्रह का परिच्छेद १४]

504. कार्यक्रम की सावंजयिक सूचना तथा दौरा पर भासले की सूचना—(क) सभी दौरा कार्यक्रम की प्रतिलिपियाँ मुख्यालयों पर तथा सम्बद्ध तहसीलों एवं प्रलिस यानों पर विपक्षायी जानी चाहिये। प्रतिलिपियों को बार की लाइब्रेरी में भी भेजना चाहिये।

(ख) अधिकारियों को व्यासाम्भव निकटतम कार्यक्रम से संसक्त होना चाहिये, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो जहाँ कार्यक्रम की प्रतिलिपियाँ प्रदर्शित की गयी हैं या भेजी गयी हैं वहाँ सभी स्पालों पर उल्कान सूचना देना चाहिये।

(ग) जब प्रकार तथा साक्षी विविर में उपस्थित होने के लिए आहुत किये जाते हैं, तब समन में स्वत तथा विषि को अधिकारियों को व्यासाम्भव किया जाना चाहिये।

(व) मुलवाहै दबर मालिये।

(ग) दौरे के दौरान कार्य

505. दौरे पर सामग्रीय अधिकारियों ह

(क) वे सूचेख के अनुरोदों का असुमरण करने जिनका सम्भव हो। उन्हें

(ख) जहाँ उपयुक्त विधिक मामलों में किये जाने विवित विनियोग

(ग) सामान्य अपर्याप्त जोर देना चाहिये, को जाना जाय तथा ऐसे

(घ) अधिकारियों चाहिये या विकायतों को सम्बन्धित हो। वहाँ आप

उचित मामले की रिपोर्ट अधिकारियों को यह देखना यास अपने विकायतों को जैसे पेशकार, लेखपाल/फ

कारण से लोगों को प्रतिवेदित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जपराध के

(ङ) उप-खण्डीय गांव सभा में निहित दील विकास के लिए उपयुक्त ह

(च) उन्हें विशेष द्वारा अस्तित्व रूप ने दीर्घी कारण वह भी जोष है देना चाहिये।

(ज) उन्हें उन

प्रस्त हैं तथा सामान्यतया स्थिति पुनः प्रकट होती

(ज) उन्हें भू-र साक उनकी जारी की ग

(म) उन्हें कार्य

उपरा ग्रामीण अपराध

मीथता ।

में के कार्य तथा घटन

। विकास खण्डों का

इ का परिच्छेद १२]

से तैयार किये गये
विक संज्ञान के लिए
पहुँच सुनिश्चित करने
किया जाये, दौरा
करना चाहिये ।

का परिच्छेद १३]

गी सामान्य अवधि
स्वयं दौरा करना
गे से कम १५ दिन
ग जायेगा ।तक सीमित होनी
शक्ति से छः सप्ताह
विषयक हो, उनके

ला अधिकारी के

लिए दौरा करना
ल परिच्छेद १४]ता—(क) सभी
नों पर चिपकायीहिये, यदि कोई
पा भेजी गयी है

रे जाते हैं, तब

(ब) भूतवाहि स्पलों औ आदेश पत्रक में निरपकाव रूप से सम्बन्धित अधिकारियों करना
चाहिये ।

[ज्ञासनादेत संज्ञा का परिच्छेद १५]

॥ दौरे के द्वारा साथ

(५०५) दौरे पर उप-खण्डीय अधिकारियों के कर्तव्य—निरीक्षण अनुबंध दौरे पर^१
उप-खण्डीय अधिकारियों द्वारा पालन किया जाने वाले कर्तव्यों को निर्दिष्ट करते हैं :(क) वे सूचीकृत नियम संग्रह के परिच्छेद ५०१ के उप-परिच्छेद (क) तथा (ब) में वर्णित
अनुदेशों का अनुसरण करतेर तथा उनमें लेखपालों के अभिलेखों का पूर्णलेख परीक्षण करते,
जितना सम्भव हो । उन्हें विशेष रूप से यह देखना चाहिये कि वर्ग खतोनी तथा खसरा की तैयारी
के लिए पुनरीक्षित नियमों का उचित रूप से अनुसरण किया जाता है ।(घ) जहाँ उपयुक्त माना जाय, वहाँ स्थानीय निरीक्षण उनके समझ लम्बित राजस्व तथा
वाणिडक मामलों में किये जाने चाहिये, जैसे निरीक्षण मामले में अधिक विशेष बहुधा हुआ करते हैं,
जिसके साथ उचित विनियोग पर पहुँचा जा सकेगा ।(ग) सामान्य जनता तथा सार्वजनिक विचार के साथ संस्कार प्राप्त करने की महता से
पर्याप्त और देना चाहिये, जिससे आपूर्ति तथा स्थानीय अधिकारियों के सम्बन्ध में उनके शिकायत
को जाना जाय तथा ऐसे सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।(घ) अधिकारियों को, जहाँ जो भी हो, उचित शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना
चाहिये या शिकायतों को उनके जाम में जाना चाहिये, जहाँ गैर अधिकारियों या अधिकारियों से
सम्बन्धित हो । जहाँ आवश्यक हो वहाँ सभी ऐसी शिकायतों का निरीक्षण करना चाहिये तथा
उचित मामले की रिपोर्ट उचित माध्यम से सुरक्षार को भेजी जा सके । दौरे के उप-खण्डीय
अधिकारियों को यह देखना चाहिये कि वे जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हैं तथा लोगों के
पास अपने शिकायतों को अप्रसारित करने के लिए अवसर हैं । उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों,
जैसे पेशकार, लेखपाल/पठारी तथा सूलेख निरीक्षक को यह स्पष्ट करना चाहिये कि उन्हें किसी
कारण से लोगों को प्रतिबाधित नहीं करना चाहिये जो उसके समझ अपनी शिकायतों को रखने के
लिए वा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अधिकारी से मिलने की इच्छा करते हैं । कोई कर्मचारी, जो
इस सम्बन्ध में अपराध करता हुआ पाया जाता है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाही की जाती है ।(इ) उप-खण्डीय अधिकारियों को वास्तविक निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिये कि कैसे
गौव सभा में निहित क्षेत्रों का चयनीय किया जा रहा है तथा जहाँ वांछनीय हो, वहाँ उनके
विकास के लिए उपयुक्त तरीकों तथा साधनों को मुझाये ।(ज) उन्हें उन क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहिये, जो बन्दोबस्तु अधिकारियों
द्वारा अस्तित्व रूप में बर्दीकृत किया गया है तथा यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि अस्तित्व का
कारण बब भी जोश है । यदि ऐसा है, तो उन्हें ऐसे कारणों की दूर करने के लिए सुझाव
देना चाहिये ।(झ) उन्हें उन क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहिये, जो पिछले तीन वर्ष के दौरान अन्यान्य
परत हैं तथा सामान्यतया पूर्ण रूप से तहसील में तथा विशेषकर उन क्षेत्रों में यदि अमाव की
स्थिति पुनः प्रकट होती है, कार्य का निरीक्षण करना चाहिये जो ग्रहण किया जा सकता है ।(ञ) उन्हें सु-राजस्व तथा नहर बकायों के कार्य का, विशेषकर काशतकारों के कथन के
पास उनको जारी की गयी रसीदों को स्थल पर सत्यापित करते हुए, निरीक्षण करना चाहिये ।

(ञ) उन्हें कार्य की प्रगति, जिसके लिए तकारी अधिक लिया गया है, का निरीक्षण करना

320 : ३० प्र० रेवेन्यू मैनेजर

चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या वह धन, जिस मद के लिए उसमें इतिहास किया गया था, उसे उस मद पर सर्व किया गया है कि नहीं।

(ब) उन्हें अपने उप-खण्डों में सामुदायिक सद्भाव के प्रवर्तन के लिए तथा लोगों के साथ सुखा तथा विश्वास की भावना को सुजित करने के लिए कदम उठाना चाहिये। उन्हें राष्ट्र के संगठन को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा सहायता करनी चाहिये।

(ट) वे अधिसूचित क्षेत्रों तथा नगर क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे किन्तु यदि ऐसा नहीं कि अनुरोध नहीं किया जाता तो वे किसी कार्य का जो जिला परिषद या नगरपालिका के नियमनानुसार है, निरीक्षण नहीं करेंगे।

(ठ) उन्हें अपने उप-खण्डों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति से तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणों से स्वयं परिचित होना चाहिये। उन्हें दुष्करिताओं के विरुद्ध की गयी कार्यतात्मा का निरीक्षण करना चाहिये तथा पुलिस थानों के निरीक्षण का भार अपने ऊपर लेना चाहिये। ऐसा निरीक्षणों पर यदि वह व्यवस्था हो सकती है तो क्षेत्र के प्रभारी राजपत्रित पुलिस अधिकारी विचार-विमर्श करना बांधनीय है।

(घ) उन्हें समाज के कमज़ोर वर्गों को समस्याओं पर समुचित ध्यान देना चाहिये।

(इ) उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं पर समुचित ध्यान देना चाहिये।

(ज) वे ऐसे अगले निदेश के अनुसार कार्य करेंगे, जैसा कि जिला अधिकारी द्वारा दीर्घ दौरा अनुदेशों में अन्तर्विष्ट है। जिला अधिकारी देखेंगे कि उप-खण्डीय अधिकारी अपने गमग का उचित रूप से उपयोग करते हैं तथा उनसे कोई बेगारी का कार्य नहीं लिया जाता है।

[शासनादेश संग्रह का परिचय 10]

506. दौरा पर वाद कार्य—दौरा पर जाने के पूर्व उप-खण्डीय अधिकारी लाभित दाखिल करना तथा राजस्व दोनों भागों की सूची की संवीक्षा करेंगे तथा जो भी भागले दीर्घ दौरा का सुविधापूर्वक निपटाये जा सकते हैं, उसे सुनवाई के लिए नियत करेंगे, तथापि दौरा पर ऐसे भागों को नियत न करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिये, जो दौरे के कर्तव्यों के उचित नियमों में हस्तांक करे। विशेषकर, अधिकारी में के व्यक्तियों को शामिल करके पुलिस भागले सामान्यताएँ दौरे पर नहीं मुने जाने चाहिये तथा सभी भागले का, जिनमें महिलाएँ शामिल हैं, यदि यहाँ दौरा विचारण मुद्दानामय पर किया जाना चाहिये। प्रत्येक भागले में, सुनवाई स्थल का चारों पक्षकारों तथा साक्षियों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए करना चाहिये नियमानुसार, भाग एसे भागों को लिया जाना चाहिये, जो गांव से सम्बन्धित हों, जहाँ न्यायालय लगता है तथा यदि पक्षकार या साक्षी शिविर स्थल के पांच मील व्यास के बाहर निवास करते हैं। इन स्थितियों पर जो आत्मनिक रूप से कठोर नहीं है, मुख्य उद्देश्य है कि पक्षकारों तथा अन्यों की सुविधा की सावधानीपूर्वक ध्यान में रखा जाय। सामान्यतया शिकायत के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिये कि कार्य, जिसके लिए लोग उपस्थित हुए हैं, को नहीं लिया गया है वयोंकि सम्बद्ध लाभिकारी अनुसूचित समय पर अपने गतव्य स्थान पर पहुँचने में सफल नहीं हुआ है या अन्यथा अस्ति गया है। दौरा पर भागों को क्रमबद्ध ढंग में व्यवस्थित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिये। तथा यथासम्बन्ध में दौरा प्रारम्भ होने पर या उसके पूर्व किया जाना चाहिये।

[शासनादेश संग्रह का परिचय 17]

अध्याय 30]

507.

वाद कार्य के जिस स्वप्रिय प्राधिकार के खण्डीय मजिस्ट्रीज अधिकारी के मामलों को अपेक्षा कर इस प्रकार उपालोचना ता

508

उ० प्र० सिर्फ दायरियाँ रख की जायेंगी।

(ख)

विचार-विम उन्हें किये ग

(ग)

टिप्पणियों व बाद उप-वा न कि दायर जायेंगे) के

(घ)

जो प्रशिक्षण नहीं करेंगे है, दायरी

(ङ)

करना चारा का सदृप्तयो सामान्यतर

ब

5

उप-खण्डी परिचय उपन्यास में

१ मद के लिए उसको स्वीकृत

ग के लिए तथा लोगों के समय
जना चाहिये। उन्हें रक्षक दल
।

रे निन्तु यदि ऐसा करने का
नगरपालिका के नियन्त्रणाधीन

स्थिति से तथा साधारणतया
विश्व की गयी कार्यवाही का
ने ऊपर लेना चाहिये। ऐसे
उपचारित पुलिस अधिकारी से

त ध्यान देना चाहिये।
गेजनाओं पर समुचित ध्यान

जिला अधिकारी द्वारा निर्गत
ए अधिकारी अपने समय का
लिया जाता है।

ऐसा संभव का परिच्छेद 16]

उप-खण्डीय अधिकारी लम्बित
तथा जो भी मामले द्वारा पर
तथापि द्वारा पर ऐसे मामले
तर्तव्यों के उचित निर्वहन में
पुलिस मामले सामान्यतया
में अभियुक्त हैं, यदि सम्बन्ध
, सुनवाई स्थल का चुनाव
चाहिये नियमानुसार, केवल
। न्यायालय लगता है तथा
हुँच मार्ग के अन्तर्गत होना
हरना चाहिये, जहाँ सम्बद्ध
हरते हैं। इन स्थितियों का
तथा अन्यों की सुविधा को
ई अवसर नहीं होना चाहिये
है क्योंकि सम्बद्ध अधिकारी
ना है या अन्यथा व्यस्त हो
सावधानी बरतनी चाहिये।

२ संभव का परिच्छेद 17]

507. दौरा ऋतु में मामले के निपटारे के लिए व्यवस्था—जिला अधिकारी को ऐसे बाद कार्य के निपटारे के लिए यथोचित व्यवस्था करनी चाहिये जो दौरे पर नहीं किया जाता है जिसे स्थगित नहीं किया जाता चाहिये। यह बांछनीय है कि जिला अधिकारियों को उनके प्राधिकार के बिना यथासम्भव इतने अधिक बाद कार्य को अवमुक्त करना चाहिये, जितना उप-खण्डीय भजिस्ट्रेट निपटायेगा तथा यह विशेष महत्व का है कि किसी महत्वपूर्ण पुलिस मामले को अधिकारी के दौरे पर होने के कारण असम्यक् रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिये। जब मामलों को अन्तरित किया जाता है तो किसी अधिकारी को सह-अधिकारी के कार्य के ऐसे भाग की उपेक्षा करने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये, जो दौरे सीजन की आवश्यकता के कारण, इस प्रकार उनमें व्यस्त किया जाय। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो ऐसी असफलता की आज्ञाओंना तथा उसकी रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाले व्यक्तिक्रम के रूप में माना जाना चाहिये।

[शासनादेश संभव का परिच्छेद 18]

508. दौरे की डायरियाँ—(क) सभी अधिकारी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा पा
उ० प्र० सिविल सेवा में पांच वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर पाये हैं, वे जब दौरा पर हों तो वह
डायरियाँ रखेंगे, जिसे ऐसे अन्तराल पर, जैसा वह निर्दश दें, जिला अधिकारी को प्रस्तुत
की जायेंगी।

(ख) डायरियों को अधिक अपविस्तृत नहीं होना चाहिये तथा सैद्धान्तिक विषयों पर
विचार-विमर्श एवं यात्रा के सामान्य घटनाओं पर टिप्पणियों को परिवर्जित करना चाहिये किन्तु
उन्हें किये गये कार्य तथा उन पर लगी समयावधि को स्पष्टतः निर्दिष्ट करना चाहिये।

(ग) उप-खण्डीय अधिकारियों के मामले में, सम्यक् रूप से अभिलिखित की गयी निरीक्षण
टिप्पणियों को डायरियों में दुहराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तहसील के निरीक्षण के
बाद उप-खण्डीय अधिकारी अपनी टिप्पणी को नियमित निरीक्षण पुस्तिका में अभिलिखित करेगा
न कि डायरी में। इस पर इस प्रभाव की प्रविष्टि कि इतने अधिक घन्टे विभागों (नाम दिये
जायेंगे) के निरीक्षण में लगे थे, पर्याप्त होगा।

(घ) दूसरी तरफ अधिकारी, जिनके पास उप-खण्डीय अधिकारी की शक्तियाँ नहीं हैं या
जो प्रशिक्षण के अधीन है, सामान्यतया नियमित निरीक्षण पुस्तिका में विस्तृत टिप्पणी अभिलिखित
नहीं करेंगे तथा ऐसे मामलों में यह निर्दिष्ट करने के लिए, कि किसका उन्होंने अनुपालन किया
है, डायरी में अधिक विस्तृत प्रविष्टि बांधनीय है।

(इ) जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए इन डायरियों का परीक्षण
करना चाहिये कि किनिष्ट अधिकारीण, चाहे वे प्रशिक्षण के अधीन हों या नहीं, को अपने समय
का सदृप्योग करना चाहिये, अपने दिन के बड़े भाग को बाहरी कार्य में लगाना चाहिये तथा
सामान्यतया प्रशासन के सभी शाखाओं में बौद्धिक रुचि लेना चाहिये।

घ—दौरे के निष्कर्ष पर कार्यवाही

[शासनादेश संभव का परिच्छेद 19]

509. उप-खण्डीय अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट—(क) शीत ऋतु के दौरे के निष्कर्ष पर
उप-खण्डीय अधिकारियों को कृषीय समृद्धि में घट-जड़ के सम्बन्ध में भू-लेख नियम संभव के
परिच्छेद 550 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट तथा उत संभव के परिच्छेद 582 द्वारा अपेक्षित भू-लेख के
सम्बन्ध में रिपोर्ट, नोट-बुक तथा नक्शा को भी प्रस्तुत करना चाहिये।

(ख) उन्हें तहसील की सामान्य स्थिति पर तीन टंकित फुलस्केप पृष्ठों से अनधिक भी सामान्य रिपोर्ट, डैटी तथा अन्य हिस्सक अपराधों के विशेष सन्दर्भ में कानून तथा अवधारणा की स्थिति, लगान या राजस्व के संग्रह में किसी कठिनाइयों तथा उक्त वर्णित परिच्छेद 550 से अन्तर्गत की गयी रिपोर्ट द्वारा पहले से अनाच्छादित हचि या महत्व के ऐसे अन्य मामलों को भी प्रस्तुत करना चाहिये। ये सामान्य संक्षेप गार्ड-बुक में संरक्षित किये जायेंगे तथा जब दोरा परिच्छेद 520 के अन्तर्गत आयोजित किया जाता है तो उसे वर्षानुवर्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) उन्हें जिला अधिकारियों के अनुमोदन के लिए गाँव तथा परगना पुस्तिका के लिए अपने टिप्पणियों तथा अनुमोदित राष्ट्रीय यांत्रीय रोजगार योजना (N.R.E.P.) कार्य, जिसे वे प्रस्तावित करते हैं, के उपयुक्तता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिये।

[शासनादेश संग्रह का परिच्छेद 20]

510. आयुक्तों को वार्षिक रिपोर्ट—जिला अधिकारियों को उन अधिकारियों के नाम, जिन्होंने दोरा किया है तथा जिन्होंने दोरा नहीं किया है, को किसी आवश्यकता स्पष्टीकरण के साथ दर्शित करते हुये विहित प्रूप (प्रकीर्ण संख्या 180) में विवरणी को 15 अप्रैल तक आयुक्त को पेश कर देना चाहिये। उन्हें उसी समय अभिप्रमाणित करना चाहिये कि वे उक्त परिच्छेद 509 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त कर लिए हैं। आयुक्त उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

[शासनादेश संग्रह का परिच्छेद 21]

इ—मानसून बीरे

511. सामान्यतया जिलाधिकारियों को दस दिनों की अवधि से अन्यून वर्षा छूतु के दोरा को नहीं करना चाहिये तथा इस अवसर को तहसीलों के निरीक्षण में लेना चाहिये, जिनका शीत छूतु के दोरा समुचित रूप से निरीक्षण नहीं किया गया है।

[शासनादेश संग्रह का परिच्छेद 22]

512. उप-खण्डीय अधिकारियों द्वारा मानसून दौरा—उप-खण्डीय अधिकारियों को वर्षा के दोरान तहसील के विभिन्न विभागों का सम्पूर्ण निरीक्षण करना चाहिये। यदि उप-खण्डीय अधिकारी का मुख्यालय तहसील मुख्यालय पर नहीं है, तो उसे इस प्रयोजन के लिए तहसील के मुख्यालय पर वर्षा के दोरान 12 दिनों से कम व्यतीत नहीं करना चाहिये। तहसील के निरीक्षण के सम्बन्ध में अनुदेश भू-लेख नियम संग्रह के अध्याय 57 में दिया गया है।

टिप्पणी—सार्वजनिक निर्माण विभाग की भवन तथा सड़क तथा सिचाई शाखायें सहमत हैं कि उनके द्वारा पौष्टि निरीक्षण बंगलों का प्रयोग कर्तव्य पर यात्रा करने वाले सभी संरक्षारी विभागों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का इन बंगलों पर प्राथमिक दावा होगा तथा अधिकारी अभियन्ता या प्रभारी उप-खण्डीय अधिकारी को सम्यक् सूचना देना चाहिये जब अन्य विभाग का अधिकारी बंगला के प्रयोग की बांछा करता है। सफाई के लिए अल्प शुल्क अधिरोपित किया जा सकेगा तथा बंगला को दखल करने वाले अधिकारी द्वारा अदा किया जाना चाहिये।

1904 का ड० प्र० अधिनियम :	
1921 का अधि० सं० 5,	
1925 का अधि० सं० 4,	
1932 का अधि० सं०	
1938 का अधि०	
के अनुकूलन	
सं० 1, 19:	
अधि०	
196	
व	

उत्तर प्रदेश में भू-राजस्व त-

1. शीर्ष नाम, वि-
1901 के नाम
- (2) प्रथम अनुसूची
प्रतिबन्ध यह है कि र-
पाग को समस-
लागू कर सक-

1. 24 अक्टूबर, 1901 को लिफ्टें
1901 को भारतीय परिवर्त अधि-